12-2-2020

मुआवजे जमीन न मिलने की
आवाज लगाई गई अदालत न व
वकालत न कोई उपस्थित नहीं।
अतः वाद पत्र अग्रिम सुनवाई
अग्रिम पेशी में खारिज किया
जाता है। पक्षकारों पेशी का
शुल्क लेकर वापिस दायर
हो।